केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ने केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य (KWLS)** के पास स्थित पोखनी में कृषि भूमि पर सोपस्टोन खनन की अनुमति देने के उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव को रद्द कर दिया।

मुख्य बिंदु

- **वन्यजीव अभयारण्य और लुप्तप्राय प्रजातियाँ:**
  - केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य **हिमालयी कस्तूरी मृग** और **हिमालयी तहर जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, दोनों को IUCN रेड लिस्ट** में सूचीबद्ध किया गया है।
- **पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) दिशानिर्देश:**
  - हालाँकि अभयारण्य के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) की सटीक सीमाओं को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि **परिभाषित सीमाओं के अभाव में संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को ESZ माना जाता है।**
- **सोपस्टोन खनन का प्रस्ताव:**
  - **वर्ष 2023 में, उत्तराखंड सरकार ने** केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के ESZ के भीतर स्थित पोखनी में सोपस्टोन खनन की अनुमति देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- **पर्यावरणविदों की प्रतिक्रिया:**
  - **पर्यावरणविदों ने इस अस्वीकृति को अभयारण्य और उसके आस-पास के क्षेत्रों की सुरक्षा में** एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया।
  - उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह निर्णय खनन कार्यों से क्षेत्र की पारिस्थितिकी और स्थानीय निवासियों को **होने वाले खतरों के प्रति जागरूकता को दर्शाता है।**
- **उत्तराखंड में अनियमित खनन पर चिंताएँ:**
  - अनियमित खनन गतिविधियों, **विशेषकर कुमाऊँ के बागेश्वर ज़िले में,** पर बढ़ती चिंताओं के कारण ऐसे कार्यों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया गया है।
  - **उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** की रिपोर्ट से पता चला है कि खनन के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 11 संवेदनशील गाँवों के 200 घरों, सड़कों और कृषि क्षेत्रों में दरारें आ गई हैं।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक वैधानिक बोर्ड है जिसका गठन आधिकारिक तौर पर **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वर्ष 2003 में किया गया था।**
- इसने 1952 में स्थापित भारतीय वन्यजीव बोर्ड का स्थान लिया।
- **NBWL** के **अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं** और यह वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिये ज़िम्मेदार है।
- बोर्ड की प्रकृति **'सलाहकार (Advisory)' है** और यह केवल वन्यजीव संरक्षण के लिये नीति निर्माण पर सरकार को सलाह दे सकता है।
- यह **सभी वन्यजीव संबंधी मामलों की समीक्षा** तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उसके आसपास की परियोजनाओं के अनुमोदन के लिये एक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
- NBWL की स्थायी समिति की **अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं।**
  - स्थायी समिति संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों या उनके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी परियोजनाओं को मंज़ूरी देती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/kedarnath-wildlife-sanctuary